



41633 - क्या ईद के दिन सहित जुल-हिज्जा के दस दिनों के रोजे रखना मुस्तहब हैं ?

प्रश्न

मैंने आप की वेबसाइट पर अरफा के दिन के रोजे की फज़ीलत के बारे में पढ़ा है, लेकिन मैंने जुल-हिज्जा के दस दिनों के रोजों की फज़ीलत के बारे में भी पढ़ा है, तो क्या यह सही है ?

अगर यह सही है तो क्या यह संभव है कि आप मेरे लिए निश्चित रूप से यह स्पष्ट कर दें कि हम नौ दिन के रोजे रखें या दस दिन के, क्योंकि दसवाँ दिन तो ईद का दिन है ?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

जुल-हिज्जा के नौ दिनों के रोजे रखना मुस्तहब हैं, इसकी दलील अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह फरमान है:

“कोई दिन ऐसा नहीं है जिसके अंदर नेक अमल करना अल्लाह के निकट इन दस दिनों अर्थात जुल-हिज्जा के दस दिनों (में अमल करने) से अधिक महबूब और पसंदीदा है।” लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना भी नहीं? तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना भी नहीं, सिवाय उस आदमी के जो अपने प्राण और अपने धन के साथ निकले फिर उनमें से किसी भी चीज के साथ वापस न लौटे।” सहीह बुखारी (हदीस संख्या: 969)।

हुनैदा बिन खालिद अपनी पत्नी से और वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पत्नियों में से किसी से रिवायत करती हैं कि उन्होंने कहा: (अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जुल-हिज्जा के नौ दिनों का और आशूरा के दिन का और प्रति माह तीन दिन- पहले सोमवार और दो जुमेरात के दिन का रोज़ा रखते थे)। इसे इमाम अहमद (हदीस संख्या: 21829) और अबू दाऊद (हदीस संख्या: 2437) ने रिवायत किया है, नसबुर्-राया (2/180) में इसे ज़ईफ कहा गया है, और अल्लामा अल्बानी रहिमहुल्लाह ने इसे सहीह करार दिया है।

जहाँ तक ईद के दिन का रोज़ा रखने की बात है तो वह हARAM है, इसकी दलील अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु की मरफूअन हदीस है: (नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ईदुल फित्र और कुर्बानी के दिन रोज़ा रखने से मना फरमाया है।) इसे बुखारी (हदीस संख्या: 1992) और मुस्लिम (हदीस संख्या: 827) ने रिवायत किया है।



विद्वानों की इस बात पर सर्व सहमति है कि दोनों ईदों का रोज़ा रखना हराम है।

अतः इन दस दिनों में किए गए अच्छे काम उनके अलावा दिनों में किए गए नेक कार्य से बेहतर हैं, रही बात रोज़ों की तो इन में केवल नौ दिनों के रोज़े रखे जाएंगे। और दसवाँ दिन जो कुर्बानी की ईद का दिन है, उस दिन रोज़ा रखना हराम है।

इस आधार पर “जुल-हिज्जा के दस दिनों के रोज़े की फज़ीलत” से अभिप्राय केवल नौ दिनों के रोज़े हैं। उन्हें दस दिन तग़लीब (प्राथमिकता देने) के तौर पर कहा गया है।

देखिए: शर्ह मुस्लिम लिन-नववी, (हदीस संख्या: 1176)